



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

**Employees' Provident Fund Organisation**

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(Ministry of Labour & Employment, Govt. Of India)

मुख्यालय/Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14-Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066

Email: [rc.wsu@epfindia.gov.in](mailto:rc.wsu@epfindia.gov.in) Fax: 011-26173022 Phone: 011-26172685

No: WSU/2021/203/RTI (E- 37356)

दिनांक:25-06-2021

सेवा में

सभी सीपीआईओ/ मुख्यालय

विषय:- श्री विनय चंद्र: आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना

कृपया आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन आरटीआई आवेदन पंजीकरण संख्या ईपीएफओजी/आर/ई/21/07250 दिनांक 09/06/2021 के साथ संलग्न देखें।

2. जबकि आवेदन पत्र की संवीक्षा (प्रति संलग्न) में पाया गया है कि आवेदक द्वारा प्रश्न 1 के लिए मांगी गई सूचना प्रधान कार्यालय के समस्त लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है।

3. इसलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अनुसार आवेदक को सीधे सूचना की आपूर्ति के लिए आवेदन मुख्यालय में सभी सीपीओ को हस्तांतरित किया जाता है।

4. यह उल्लेख किया जा सकता है कि यदि वांछित जानकारी संबंधित डिवीजन या सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित नहीं है या जानकारी का कुछ हिस्सा अन्य डिवीजन या सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है, तो संबंधित सीपीआईओ अग्रेषित/स्थानांतरित करेगा

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग/लोक प्राधिकारियों के लिए उपयुक्त हो सकता है और आवेदक को तत्काल/इस तरह के हस्तांतरण के बारे में सूचित करें। तथापि, यदि सीपीआईओ यह पता लगाने में सक्षम नहीं है कि किस संभाग/सार्वजनिक प्राधिकरण का संबंध संबंधित विभाग/लोक प्राधिकरण

को पता लगाने के लिए उचित प्रयास करने के बाद भी जानकारी से संबंधित है, जिसे आवेदन स्थानान्तरित किया जा सकता है। तथापि, यह सीपीआईओ की जिम्मेदारी होगी, यदि उसके निर्णय के खिलाफ अपील की जाती है, तो यह स्थापित करने के लिए कि उसने संबंधित प्रभाग/सार्वजनिक प्राधिकरण के विवरण का पता लगाने के लिए उचित प्रयास किए हैं।

5. उत्तर में अपीलीय प्राधिकारी के नाम और पते का भी उल्लेख किया जाए, ताकि आवेदक ऐसी अवधि के समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर या लोक प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर अपील कर सके, यदि वह फैसले से व्यथित।

6. इसे सबसे जरूरी माना जाना चाहिए।

भवदीय,

संलग्नक: जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है

**(विशाल अग्रवाल)**

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (इब्ल्यू.एस.यू.)/  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (इब्ल्यू.एस.यू.)

को कॉपी:

विनय चंद्र:

मकान नंबर 215 बी ब्लॉक भगवत मोहल्ला,  
सोनारी, बालिचेला हाई स्कूल के पास,  
जमशेदपुर, झारखंड

197629/2021/WSU

<b>RTI REQUEST DETAILS (आरटीआई अनुरोध विवरण)</b>			
<b>Registration Number</b> (पंजीकरण संख्या) :	EPFOG/R/E/21/07250	<b>Date of Receipt</b> (प्राप्ति की तारीख) :	09/06/2021
<b>Type of Receipt (रसीद का प्रकार) :</b>	Online Receipt	<b>Language of Request (अनुरोध की भाषा) :</b>	English
<b>Name (नाम) :</b>	Vinay Chandra	<b>Gender (लिंग) :</b>	Male
<b>Address (पता) :</b>	H No 215 B BLOCK BHAGWAT MOHALLA, SONARI NEAR BALICHELA HIGH SCHOOL, Jamshedpur, Pin:831011		
<b>State (राज्य) :</b>	Jharkhand	<b>Country (देश) :</b>	India
<b>Phone Number (फोन नंबर) :</b>	Details not provided	<b>Mobile Number</b> (मोबाईल नंबर) :	+91- 7004403223
<b>Email-ID (ईमेल-आईडी) :</b>	icmcvinaychandra@gmail.com		
<b>Status (स्थिति)</b> (Rural/Urban) :	Details not provided	<b>Education Status</b> :	Above Graduate
<b>Is Requester Below Poverty Line ? (क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है?) :</b>	No	<b>Citizenship Status</b> (नागरिकता)	Indian
<b>Amount Paid (राशि का भुगतान) :</b>	10 ) (original recipient)	<b>Mode of Payment (भुगतान का प्रकार)</b>	Payment Gateway
<b>Does it concern the life or Liberty of a Person? (क्या यह किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से संबंधित है?) :</b>	No(Normal)	<b>Request Pertains to (अनुरोध निम्नलिखित संबंधित है) :</b>	CPIO, WSU,Manual
<b>Information Sought (जानकारी मांगी):</b>	RTI Application is attached since this text box does not support Hindi keywords. Please provide all the information in the Hindi Language		
<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Close"/>			

197629/2021/WSU

विषय :- सुचना अधिकार अधिनियम, 2005 धारा 6(3) के तहत सुचना आवेदन

महोदय/महोदया,

Provident Fund (भविष्य निधि) के बारे में कृपया निम्न बिंदुओं पर कण्डिकानुसार धारा 6(3) के तहत 30 दिनों के भीतर सुचना प्रदान करें

- (1) पिछले 2 वर्षों में provident fund कानून में किये गए संसोधनों एवं बदलाव की प्रमाणित प्रति प्रदान करें
- (2) कोई भी कर्मचारी अपने PF खाते से साल में कितनी बार PF की राशि निकाल सकता है, और किन किन परिस्थितियों में निकाल सकता है, नियामावली की प्रमाणित प्रति प्रदान करें
- (3) राशि निकालने के लिए किये गए अनुरोध को किस प्रकार आंकलन किया जाता है, उसका आंकलन कौन से पद के कर्मचारी या अधिकारी को करने की शक्ति है, कृपया इस के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें
- (4) राशि निकालने की अनुरोध को कितने दिन में स्वीकृति मिल जाती है, नियामावली की प्रमाणित प्रति प्रदान करें
- (5) कोई भी कर्मचारी अगर अपने खाते से जुडी या नियोक्ता से जुडी जो की भविष्य निधि से जुडी समस्या है, उसे आपलोगों तक कैसे भेज सकता है, और उस समस्या का निपटारा कितने दिन में किया जाता है, नियामावली की प्रमाणित प्रति प्रदान करें

जनसूचना अधिकारी कृपया ध्यान दें

- (1) मैंने सुचना अधिकार अधिनियम के तहत मैंने १० रुपये शुल्क का भुगतान इस वेबसाइट के माध्यम से कर दिया है, अगर सुचना लेने में किसी और राशि की आवश्यकता हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ
- (2) श्री अश्विनी कुमार बनाम दिल्ली नगर नगम के प्रकरण में केंद्रीय सुचना आयोग ने अपने निर्णय जिसकी संख्या CIC/SG/A/2012/001107/19129 उसमें जन सुचना पदाधिकारी को आदेश दिया था की अगर कोई सुचना वेबसाइट या इंटरनेट में मौजूद है उसके उपरांत भी आवेदक को साड़ी सूचनाएं मांगे गए प्रारूप में दिया जाना चाहिए, अतः आप से अनुरोध है की किसी लिंक या वेबसाइट का हवाला न दें
- (3) अगर मांगी गयी कोई भी सुचना जिसका सम्बन्ध आपके कार्यालय या विभाग से नहीं है तो कृपया धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुए मेरे इस आवेदन को 05 दिनों के भीतर उचित विभाग में हस्तांतरित करते हुए इसकी सुचना मुझे दें , ताकि मांगी गयी सुचना ससमय मुझे प्राप्त हो
- (4) कृपया समस्त सूचनाएं कण्डिकानुसार बिंदुवार प्रदान करें
- (5) कृपया मांगी गयी सूचनाएं हिंदी में प्रदान करें किसी दूसरे भाषा में सुचना प्रदान करने पर जवाब पात्र अमान्य एवं अस्वीकार किया जाएगा, इसके लिए आप जयकुमार जैन बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण जिसमें केंद्रीय सुचना आयोग का फैसला है विनिश्चय सं CIC/WB/C/2006/00040 -5 जून 2006 को देख सकते है जिसमें माननीय केंद्रीय सुचना आयोग ने सूचनाएं हिंदी में अगर मांगी गयी हो तो हिंदी में देने का आदेश दिया था

अविश्वासभाजन

Vinay Chandra

Law Aspirant, RTI, Social & Human Right Activist

